

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

BY E-MAIL.

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-10 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 29.01.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कार्यालय आदेश क्रमांक 07 / (एक-दो-01)07 दिनांक 29.01.2026 में आंशिक संशोधन करते हुये उक्त आदेश की कण्डिका क्रमांक 01 की उपकण्डिका क्रमांक 04 अर्थात् (विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत तहसील देवरी क्षेत्र से उत्पन्न प्रकरण व उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ) को विलोपित करते हुये कण्डिका क्रमांक 02 की उपकण्डिका क्रमांक 05अ के रूप में समाहित करता हूँ।

नोट:- 01. उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।

02. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 524 (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 29.01.2026

01. अति० अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी (श्री अनिल कुमार करोरिया)
02. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी (श्री महेश कुमार झा)
03. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ देवरी।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)